

रूप क्रमांक-3
(देखिये नियम 8)

कारोबार के स्थान में (कारोबार के प्रमुख स्थान के अतिरिक्त परिवर्तन) का संज्ञापन
(फर्मों के रजिस्ट्रार को प्रकरण - पत्र में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तुत या प्रेषित)

इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा 61 के अधीन यह संज्ञापित किया जाता है कि नीचे
निर्दिष्ट परिवर्तन फर्म

के कारोबार के स्थान में हुये हैं:-

फर्म का नाम

(1) फर्म ने में
कारोबार बंद कर दिया है।

(2) फर्म ने में
कारोबार प्रारंभ कर दिया है।

स्थान

दिनांक

फर्म के किसी साझेदार या प्राधिकृत प्रतिनिधि के
हस्ताक्षर